न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमति सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 53 / 16

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री घनश्याम खत्री पुत्र श्री राजूमल खत्री उम्र 42 वर्ष (एफबीबो) फर्म :– मैसर्स भव्य अरोड़ा एण्ड नमकीन, प्लॉट सं. 14, के के कॉलोनी, कुड़ी हाउसिंग बोर्ड रोड़, जोधपुर नि.– आजाद हिन्द मार्केट, मसूरिया जोधपुर।
2. श्री मोतीसिंह पुत्र श्री शैतान सिंह (भागीदार / मालिक) फर्म भव्य अरोड़ा स्वीट्स एण्ड नमकीन, प्लॉट संख्या 14 के.के. कॉलोनी, कूड़ी हाउसिंह बोर्ड रोड़, जोधपुर। निवासी–220 रूपसिंह की ढाणी, झाबरा पोकरण, जिला जैसलमेर।
3. श्रीमती गैरो कंवर पत्नी श्री रघुनाथ सिंह (भागीदार / मालिक) फर्म –मैसर्स भव्य अरोड़ा स्वीट्स एण्ड नमकीन, प्लॉट संख्या 14 के के कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड रोड़, जोधपुर। निवासी– मिल्कमैन कॉलोनी, पाल रोड़, जोधपुर।
4. मैसर्स भव्य अरोड़ा स्वीट्स एण्ड नमकीन, प्लॉट संख्या 14 के के कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड रोड़, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 20.03.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स भव्य अरोड़ा स्वीट्स एण्ड नमकीन, प्लॉट संख्या 14, के के कॉलानी, कूडी हाउसिंह बोर्ड, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान एक स्टील ट्रे में मिल्क केक (दूध निर्मित प्रोपरायटरी मिठाई) 5 किलोग्राम आम जनता को विक्रय हेतु रखी थी। उक्त मिल्क केक (दूध निर्मित प्रोपरायटरी मिठाई) 2 किलोग्राम वास्ते नमूना संख्या एम–1060 वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के रूपये 600 / – नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है। खरीदसुदा मिल्क केक को हिला–मिला कर एक रूप कर बराबर–बराबर मात्रा (500ग्राम) में प्रत्येक शीशी में भरा एवं प्रत्येक शीशी में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 40–40 बूंदे बतौर प्रिजरवेटिव की डालकर प्रत्येक शीशी पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1060 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1060 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेंदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बाधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1060 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
2. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि मिल्क केक की चारों नमूना शीशीयां को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1060 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस / 282 / एक्ट / 2016 / 313 दिनांक 29.03.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त

प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1060 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

3. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा अपना वकालतनाम पेश किया गया परंतु बार बार अवसर देने के उपरांत भी अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया, न ही वे बहस हेतु उपस्थित हुए। अतः मै प्रकरण में एकतरफा निर्णय देने उचित समझती हूँ।
4. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थीगण ने प्रकरण में लापरवाही दिखाते हुए बार बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया तथा यदि अप्रार्थीगण पब्लिक हैल्थ लेबोट्री जोधपुर की फूड ऐनेलेसिस रिपोर्ट दिनांक 29.03.2016 से संतुष्ट नही थे तो उसके पास रेफरल लेबोरट्री में अपील का अवसर था परंतु अप्रार्थीगण ने रेफरल लैब में अपील नहीं की अतः वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 के दोषी पाये जाते हैं। अतः अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी पाये जाते हैं। अतः अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये 25,000/- अक्षरे रूपये पच्चीस हजार मात्र की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 15/9/17 के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 15/9/17 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक / कोर्ट / 2017 / 1950 - 55 दिनांक :– 15/9/2017

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
03. श्री घनश्याम खत्री पुत्र श्री राजूमल खत्री उम्र 42 वर्ष (एफबीओ) फर्म :– मैसर्स भव्य अरोड़ा एण्ड नमकीन, प्लॉट सं. 14, के के कॉलोनी, कुड़ी हाउसिंग बोर्ड रोड, जोधपुर नि.– आजाद हिन्द मार्केट, मसूरिया जोधपुर।
04. श्री मोतीसिंह पुत्र श्री शैतान सिंह (भागीदार / मालिक) फर्म भव्य अरोड़ा स्वीट्स एण्ड नमकीन, प्लॉट संख्या 14 के.के. कॉलोनी, कूड़ी हाउसिंह बोर्ड रोड, जोधपुर। निवासी–220 रूपसिंह की ढाणी, झाबरा पोकरण, जिला जैसलमेर।
05. श्रीमती गैरो कंवर पत्नी श्री रघुनाथ सिंह (भागीदार / मालिक) फर्म –मैसर्स भव्य अरोड़ा स्वीट्स एण्ड नमकीन, प्लॉट संख्या 14 के के कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड रोड, जोधपुर। निवासी– मिल्कमैन कॉलोनी, पाल रोड़, जोधपुर।
06. मैसर्स भव्य अरोड़ा स्वीट्स एण्ड नमकीन, प्लॉट संख्या 14 के के कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड रोड़, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर
एवं अतिरिक्त जिला
मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर